

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल छपरा 2**

पत्रांक 615 अनु०

छपरा/दिनांक 02/05/2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, छपरा-2

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (ब्रांडा),
बिहार, पटना।

विषय:- नाबार्ड योजनान्तर्गत पाँच वर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

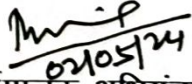
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि नाबार्ड योजनान्तर्गत 1 (एक) पथ में पंचवर्षीय अनुरक्षण मद में चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के अनुरक्षण कार्य के आवंटन की अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर माप पुस्त की छायाप्रति, एकरारनामा की छायाप्रति एवं प्रशासनिक स्वीकृति का पत्र की छायाप्रति संलग्न आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है।

अतः अनुरोध है कि उक्त पथ में अधियाचित राशि उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि संवेदक के विपत्र का भुगतान किया जा सकें।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन


02/05/24
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, छपरा

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा-2

राज्य योजना (नाबार्ड) अंतर्गत पथों में पंचवर्षीय अनुरक्षण अधियाचित प्रपत्र

क्र.सं.	कार्य प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	एकरारनामा के अनुसार प्रावधानित राशि वर्षवार						व्यय की राशि वर्षवार						कुल राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग दिनांक सहित पत्रांक (लाख में)	पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि (लाख में)	अनुसंधान हेतु प्रशासनिक स्वीकृति का पत्रांक / दिनांक	मूल निर्माण कार्य करने की वास्तविक तिथि	वर्तमान अधियाचित राशि							कुल अधियाचित राशि (लाख में)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	छपरा-2	एकमा मशरख पी0एम0जी0एस0वार्ड0 ससना ट्रांसफार्मर के पास से शम्भु छपरा खास तक।	0.50427	0.63831	1.36792	1.71764	2.01591	6.24405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 103.22 पत्रांक 5761 दिनांक 05.05.2017	98.29719	पत्रांक 5761 दिनांक 05.05.2017	18.11.18		0.00	0.00	1.71231	2.01532	3.72763	3.72763		3.72763

1. कार्य विशिष्टों के अनुरूप पूर्ण कर लिया गया है।

2. पथ में MQMU/PQM/IE से संबंधित कोई सुधार प्रतिवेदन लंबित नहीं है।

3. अनुमोदित परिमाण विपत्र की कुल राशि प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 20% अधिकतम सीमा के भीतर है साथ ही अनुमोदित परिमाण के मदों की मात्रा का विस्तार किया गया है।

4. अनुलनक - प्रशासनिक स्वीकृति का पत्र अनुमोदित परिमाण विपत्र एवं एकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति।

(हस्ताक्षर)

प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, छपरा-2

(हस्ताक्षर)

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, छपरा-2

FORM GER 19-A

(See Government of India's Decision (I) below Rule-150
Form of Utilization Certificate up to the Month of April 2024

PIU:- E.E., R.W.D. Works Division, Chapra- 2

Sl. No	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (in Lac Rs.)	Amount Received (in lac Rs.)	Particulars
1	2	3	4	5
1	Construction of Rural Roads under NABARD (Maintenance Fund)		0.00 Lacs	Certified that out of Rs. 0.00 Lacs received during the years 2016-17 to 2024-25 and in favour of EE., R.W.D Works Division 2, Chapra a sum of Rs. 0.00 Lacs has been utilised for the purpose of NABARD Scheme as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 0.00 lacs remaining unutilised at the end of the period under report.


Divisional Account Officer
R.W.D., Works Division, Chapra-2


Executive Engineer
R.W.D, Works Division, Chapra-2